HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8462/2026
CNR: RJHC010607192026
URN: CRLMB / 18377U / 2026

Sampat Singh S/o Shri Hukam Singh, Aged About 38 Years, R/o Jakhli, Police Station Gachhipura, District Didwana-Kuchaman, Rajasthan. (Presently, Confined At Sub Jail Parbatsar, District Didwana-Kuchaman)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. D.S. Udawat
For Respondent(s) : Ms. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

13/07/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना मकराना जिला डीडवाना–कुचामन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 155/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 288 बी.एन.एस., धारा 9बी विस्फोटक अधिनियम व धारा 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी–अभियुक्त के पास लाईसेंस पूर्व में था, जो सस्पेंड हो चुका है, जिसके संबंध में न्यायालय में रिट कर रखी है। पूर्व में सस्पेंशन से पूर्व जो आदेश प्रार्थी–अभियुक्त को मिला हुआ था, उसके परिणामस्वरूप लक्ष्मी ट्रेडर्स से विस्फोटक जरिए बिल खरीद कर मकराना की फर्म को देने के लिए जा रहा था। इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को इस प्रकरण में मौके से पकड़कर गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में प्रार्थी–अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। यह मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला है। प्रार्थी–अभियुक्त विस्फोटक का दुरूपयोग नहीं कर रहा था। प्रार्थी–अभियुक्त काफी

समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **सम्पतसिंह पुत्र हुक्मसिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

30/Mayank Rankawat/629